

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी-6331

दिनांक 22/12/09

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 146वीं बैठक दिनांक 18.12.2009 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	146.1	कार्यकारी समिति की 145वीं बैठक दिनांक 27.11.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।		
2	146.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1206, 1210, 1211, 1213/1 कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा अर्थात् 43375.82 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (आत्मा ज्योति रिसर्च एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट)	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
3	146.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नाहरियों का बास तह. चाकसू के ख.नं. 79/2, 92, 105 किता 3 रकबा 0.91 हैक्ट. ग्राम रानीपुरा तह. चाकसू के ख.नं. 213, 214 किता 2 रकबा 0.61 हैक्ट. ग्राम यारलीपुरा तह. चाकसू के ख.नं. 1217, 1234, 1218/1, 1227/1 किता 4 रकबा 0.54 हैक्ट. ग्राम जयमनमोहनपुरा उर्फ मलवा तह. चाकसू के ख.नं. 80/2, 260, 261, 269, 276, 345, 436 किता 7 रकबा 1.56 हैक्ट. ग्राम चौसला तह. चाकसू के ख.नं. 782, 783, 32, 33 किता 4 रकबा 3.49 हैक्ट. ग्राम काठावाला तह. चाकसू के ख.नं. 248, 249 किता 2 रकबा 1.22 हैक्ट. ग्राम नरहरपुरा तह. चाकसू के ख.नं. 294, 297, 298, 301, 302, 303, 303/1153, 304, 321, 322 किता 10 रकबा 1.77 हैक्ट. ग्राम चंदलाई तह. चाकसू के ख.नं. 1096, रकबा 1.67 हैक्ट. ग्राम उदयपुरिया तह. चाकसू के ख.नं. 177, 172/1, 269 किता 3 रकबा 0.86 हैक्ट. ग्राम चकचंदलाई नं. 2 तह. चाकसू के ख.नं. 15 से 20 ख.नं. 27, 28/2, 35/2, 36/2, 21, 26, 28/1, 35/1, 36/1 किता 15 रकबा 1.23 हैक्ट. कुल दस ग्रामों के कुल किता 51 कुल रकबा 13.86 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रस्तावित एजेण्डा नोट में उल्लेखित क्षेत्रफल में त्रुटि होने के कारण उक्त क्षेत्रफल को निम्नानुसार पढा जावे कुल 13.86 हैक्ट. भूमि में से ख.नं. 79/2 में से हाईटेशन लाईन से प्रभावित 0.16 हैक्ट. भूमि छोड़ने एवं सडक सीमा से प्रभावित 2.23 हैक्ट. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात व ख.नं. 92, 276, 1234, 172/1, 177, 269 कुल रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि में सडक नहीं मिलने के कारण कुल 3.88 हैक्ट. भूमि छोड़ने के पश्चात शेष 9.98 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
4	146.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित चित्रकुट योजना के भूखण्ड संख्या 8/1 क्षेत्रफल 262.90 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (मै. वैभव एसोसिएट जरिये निदेशक योगेश कुलवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)
5	146.5	भूखण्ड सं. ए-175 रोहिणी नगर-द्वितीय आवासीय योजना के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-175 रोहिणी नगर-द्वितीय आवासीय योजना नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14
6	146.6	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-238 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-238 का ब्याज व पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
7	146.7	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-13 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-13 का नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
8	146.8	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-404 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-404 का ब्याज व पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
9	146.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बालमुकुन्दपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 143, 144 कुल किता 2 रकबा 0.87 हैक्ट. अर्थात् 8700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (मयूर एम्बोडस प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बालमुकुन्दपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 143, 144 कुल किता 2 रकबा 0.87 हैक्ट. अर्थात् 8700 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1119.75 वर्गमी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लेटेशन कारोडोर से प्रभावित 1601.58 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 5978.67 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
10	146.10	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-294 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-294 का ब्याज व पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
11	146.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नम्बर 1570/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से संस्थानिक तथा खसरा नम्बर 1577/2 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (राजधानी फाउन्डेशन ट्रस्ट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नम्बर 1570/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से संस्थानिक तथा खसरा नम्बर 1577/2 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)
12	146.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर के खसरा नं. 28 से 32, 130 से 135 किता 11 रकबा 1.84 हैक्ट. ख.नं. 33, 34 किता 2 रकबा 0.46 हैक्ट. कुल भूमि 23000 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से होटल प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के 133वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में तहसील सांगानेर के बजाय तहसील आमेर सही दर्ज कराने के संबंध में। (श्रीमती भगवती देवी मीणा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर के खसरा नं. 28 से 32, 130 से 135 किता 11 रकबा 1.84 हैक्ट. ख.नं. 33, 34 किता 2 रकबा 0.46 हैक्ट. कुल भूमि 23000 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 510.72 वर्गमी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लेटेशन कोरीडोर में आ रही 1701.49 वर्गमी. तथा एच.टी. लाईन की सुरक्षित दूरी में आने वाली 2870.75 वर्गमी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 17917.04 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से होटल प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया था। कार्यकारी समिति की 133वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में तहसील आमेर के बजाय तहसील सांगानेर अंकित हो गया था। जिसमें तहसील सांगानेर के बजाय तहसील आमेर सही दर्ज करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
13	146.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 2534/1 क्षेत्रफल 1187.75 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (शिवाजी ग्रामीण विकास शिक्षा समिति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 2534/1 क्षेत्रफल 1187.75 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 92 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 1095.75 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
14	146.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 3322, 3360/2, 2533/2, 2975, 2776, 2981, 2984, 2989, 3073, 2820, 2828 किता 11 रकबा 1.62 हैक्ट. ग्राम नाहरिया का बास के ख.नं. 702, 703, 704/1, 100/1, 117/3 किता 5 रकबा 1.77 हैक्ट. व ग्राम यारलीपुरा के ख.नं. 502, 506, 509, 512, 589, 144/1, 291/1 किता 7 रकबा 1.70 हैक्ट. ग्राम चौसला के ख.नं. 844 रकबा 1.28 हैक्ट. ग्राम मलवा के ख.नं. 387/3, 193/2, 195, 198, 200, 201, 202 किता 7 रकबा 1.87 हैक्ट. कुल रकबा 8.24 हैक्ट. भूमि में से सड़को से प्रभावित 2.97 हैक्ट. भूमि को छोड़ते हुये शेष 5.27 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 3322, 3360/2, 2533/2, 2975, 2776, 2981, 2984, 2989, 3073, 2820, 2828 किता 11 रकबा 1.62 हैक्ट. ग्राम नाहरिया का बास के ख.नं. 702, 703, 704/1, 100/1, 117/3 किता 5 रकबा 1.77 हैक्ट. व ग्राम यारलीपुरा के ख.नं. 502, 506, 509, 512, 589, 144/1, 291/1 किता 7 रकबा 1.70 हैक्ट. ग्राम चौसला के ख.नं. 844 रकबा 1.28 हैक्ट. ग्राम मलवा के ख.नं. 387/3, 193/2, 195, 198, 200, 201, 202 किता 7 रकबा 1.87 हैक्ट. कुल रकबा 8.24 हैक्ट. भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 2.97 हैक्ट. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 5.27 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
15	146.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 173 से 180, 247 व 249 किता 10 रकबा 2.11 हैक्ट भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक के संबंध में। (श्री आशीष दत्त शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 173 से 180, 247 व 249 किता 10 रकबा 2.11 हैक्ट भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 731.50 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 20368.50 भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
16	146.16	भूखण्ड संख्या सी-187 आनंद लोक योजना में आवंटित भूखण्ड में नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड को बहाल करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या सी-187 आनंद लोक योजना में आवंटित भूखण्ड में नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड को बहाल करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	
17	146.17	भूखण्ड संख्या डी-72 आनंद लोक योजना में आवंटित भूखण्ड में नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड को बहाल करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या डी-72 आनंद लोक योजना में आवंटित भूखण्ड में नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड को बहाल करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	
18	146.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 428, 715/193, 779/431 कुल किता 3 रकबा 2.415 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (मारुति शिक्षा समिति, जयपुर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 428, 715/193, 779/431 कुल किता 3 रकबा 2.415 हैक्ट. भूमि में से सड़क सीमा में निहित 379.44 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लाटेशन कोरीडोर से प्रभावित 999.88 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 22675.83 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
19	146.19	जलविद्युत क्षेत्र में स्थित ग्राम गुरुकुल तहसील आमेर के खसरा नम्बर 928/2278, 935, 937, 937/2279, 937/2281, 938, 938/2282, 939, 939/2276, 939/2277, 939/2277/2290, 939/2277/2291, 939/2283 किला 13 एकका 3.11 हेक्टर अर्थात् 31100 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्प्लोज करने पर प्राप्त 30780 वर्गमीटर भूमि का नू-उपयोग उपांतरण इकोलोजिकल से बायोडायनमिक (सेवायु होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने के संबंध में। (श्रीकेश्वर ग्राम एस्टेट प्रा. लि.)	विचार विमर्श परन्तु सर्वसम्मति से ग्राम गुरुकुल तहसील आमेर के खसरा नम्बर 928/2278, 935, 937, 937/2279, 937/2281, 938, 938/2282, 939, 939/2276, 939/2277, 939/2277/2290, 939/2277/2291, 939/2283 किला 13 एकका 3.11 हेक्टर अर्थात् 31100 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्प्लोज करने पर प्राप्त 30780 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में प्रभावित 8620 वर्गमी. भूमि जलविद्युत को निरुत्पन्न समर्पित करने एवं प्लांटेशन कोरीडोर में जो रही 8800 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के परन्तु होने 21360 वर्गमीटर भूमि का नू-उपयोग उपांतरण इकोलोजिकल से बायोडायनमिक (सेवायु होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्गमी. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु निजसावे जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
20	146.20	जलविद्युत क्षेत्र में स्थित ग्राम बांदाबास तहसील फागी के खसरा नं. 418, 420, 421, 543/418, 544/418, 418 किला 8 एकका 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 24958 वर्गमीटर भूमि का नू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से बायोडायनमिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पिकसिटी एन्व्यूडेसन एण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि.)	विचार विमर्श परन्तु सर्वसम्मति से ग्राम बांदाबास तहसील फागी के खसरा नं. 418, 420, 421, 543/418, 544/418, 418 किला 8 एकका 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 24958 वर्गमीटर भूमि का नू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से बायोडायनमिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्गमी. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु निजसावे जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

सदस्य सचिव
जयपुर विकास अधिकरण, जयपुर

181

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक:

कमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2009 / डी-
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	ज़िला कलेक्टर	ज़िला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 146वीं बैठक दिनांक 18.12.09 को दोपहर 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड़	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री भास्कर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एच.एस. सचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एस.के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री अशोक शर्मा	अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर सिटी	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री डी.आर. चौहान	कमिश्नर रेवेन्यू	पीडब्ल्यूडी जोन- 11, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री नर्मदा इन्दोरिया	ओएसडी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री एस. मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री ओंकार मल	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री मोहन टावरी	एसटीपी (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्रीमती साधना शर्मा	डीटीपी (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण